

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 151326 - 662 जयपुर, दिनांक 24/8/18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त राजस्थान।

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त

विषय:- दिनांक 24.08.2018 को मध्यान्ह 2.00 से 4.00 बजे तक आयोजित होने वाली विडियों कॉन्फ्रेंसिंग स्थगित करने के सन्दर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 24.08.2018 को मध्यान्ह 2.00 से 4.00 बजे तक आयोजित होने वाली विडियों कॉन्फ्रेंसिंग को अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: प.11(2)()/मो./वी.सी./आईसीडीएस/2013 151663 - 668 जयपुर, दिनांक 24/8/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर।
3. समस्त जिला कलेक्टर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. ए.सी.पी. मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे साथ ही आयोजित बैठक को स्थगित करने की कार्यवाही करावे।
5. निदेशालय स्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण उक्त विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना सुनिश्चित करे।
6. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएं